

**न्यायालय अमनदीपसिंह छाबड़ा, व्यवहार न्यायाधीश**  
**वर्ग-2 बैहर, जिला बालाघाट म.प्र.**

व्य.वाद क. 300029 / 2016  
 संस्थित दिनांक-29.04.2016

श्रीमती सावित्रीबाई पति सुदामा, आयु 52 वर्ष,  
 जाति गोंड, निवासी ग्राम-अलना, तहसील बैहर,  
 जिला बालाघाट (म.प्र.)

.....वादी

:: **विरुद्ध** ::

1. सुदामा पिता बहादर, आयु-54 वर्ष, जाति गोंड,  
 निवासी ग्राम-अलना, तहसील बैहर,  
 जिला बालाघाट (म.प्र.)
2. मध्यप्रदेश शासन द्वारा-कलेक्टर महोदय बालाघाट  
 जिला बालाघाट मध्यप्रदेश।

.....प्रतिवादीगण

:: **निर्णय** ::

**(आज दिनांक-25/02/17 को घोषित किया गया)**

- 1- यह वाद विवादित भूमि खसरा नंबर-118/2 रकबा 2.00/0.809 हेक्टेअर एवं खसरा नंबर-96/3 रकबा 1.00/0.405 हेक्टेअर मौजा अलना प.ह.नंबर-6 रा.नि.मं. गढ़ी तहसील बैहर जिला बालाघाट के विषय में हक की घोषणा एवं कब्जा प्राप्ति के अनुतोष हेतु प्रस्तुत किया गया है।
- 2- प्रकरण में स्वीकृत है कि वादी एवं प्रतिवादी क्रमांक-1 पति-पत्नी है। वादग्रस्त भूमि खसरा नंबर 96/3 वादी के स्वामित्व की है।
- 3- वाद संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी एवं प्रतिवादी क्रमांक-1 के नाम से उपरोक्त वर्णित भूमि में से खसरा नंबर-96/3 रकबा 1.00 एकड़ भूमि वादी के नाम से राजस्व प्रलेखों में दर्ज है, जिसे वादी के पिता द्वारा वादी के नाम से क्रय किया गया है तथा खसरा नंबर-118/2 रकबा 2.00 एकड़ भूमि प्रतिवादी क्रमांक-1 के नाम से राजस्व प्रलेखों में दर्ज है। वादी, प्रतिवादी क्रमांक-1 की वैध विवाहिता पत्नी है। विवाह के पश्चात् वादी को कोई संतान न होने के कारण प्रतिवादी क्रमांक-1 उसे मारपीट कर प्रताड़ित करने लगा

और कहने लगा कि वह दूसरा विवाह करेगा और प्रतिवादी क्रमांक-1 वादी को अपने पिता के यहां से नगद रुपये लाने एवं जमीन जायदाद की मांग करने लगा। प्रतिवादी क्रमांक-1 द्वारा वादी को मारपीट कर प्रताड़ित करने के कारण वादी के पिता ने वादी के नाम से 1:00 एकड़ भूमि क़य कर दी, जिस पर वर्तमान में प्रतिवादी क्रमांक-1 का कब्जा है। उसके पश्चात् भी प्रतिवादी क्रमांक-1 के व्यवहार में परिवर्तन नहीं आया और वादी से कोई संतान न होने के कारण उसने ग्राम नूनकटोला गढ़ी निवासी कलावती नामक महिला के साथ दूसरा विवाह कर लिया और वादी को घर से निकाल दिया। वादी, प्रतिवादी क्रमांक-1 से अलग रहकर निवास कर रही है। खसरा नंबर-96/3 रकबा 1:00 एकड़ वादी के पिता द्वारा क़य कर वादी को दी गई है और उस पर एकमात्र वादी का हक एवं अधिकार है।

4— प्रतिवादी क्रमांक-1 द्वारा वादी को घर से निकाल दिये जाने के कारण वादी अपने हक व अधिकार की भूमि खसरा नंबर-96/3 रकबा 1:00 एकड़ भूमि जिस पर प्रतिवादी क्रमांक-1 का कब्जा है, प्राप्त करना चाहती है और वादी, प्रतिवादी क्रमांक-1 के नाम की भूमि खसरा नंबर 118/2 रकबा 2:00 एकड़ भूमि पर भी वारसान की हैसियत से हक की घोषणा की आज्ञाप्ति प्राप्त करना चाहती है अन्यथा प्रतिवादी क्रमांक-1 अपनी दूसरी पत्नी एवं उससे उत्पन्न संतानों को उक्त भूमि हस्तांतरित कर देगा, जिस कारण वादी, प्रतिवादी क्रमांक-1 की संपत्ति से वंचित हो जावेगी। खसरा नंबर-96/3 रकबा 1:00 एकड़ भूमि वादी के हक व मालिकी की भूमि है, जिस पर प्रतिवादी क्रमांक-1 का कोई हक नहीं है। प्रतिवादी क्रमांक-1 ने वादी को अपने से अलग कर दिया है, इसलिए उपरोक्त भूमि से वादी को कब्जा दिलाया जावे एवं खसरा क्रमांक-118/2 रकबा 2:00 एकड़ भूमि पर वादी, प्रतिवादी क्रमांक-1 की वैध विवाहिता पत्नी होने से वह प्रतिवादी क्रमांक-1 की विधिक वारसान है और उसे उक्त भूमि पर हक की घोषणा की आज्ञाप्ति प्रदान किया जाना भी न्यायहित में आवश्यक है।

5— वादी के वाद का कारण दिनांक-16.11.2015 को उत्पन्न हुआ जब वादी ने प्रतिवादी क्रमांक-1 से अपनी भूमि का कब्जा हटाने व उसके नाम की भूमि की मांग की, तब प्रतिवादी क्रमांक-1 ने वादी को उसकी भूमि देने व हिस्सा देने से मना कर दिया। अतः विवादित भूमि खसरा नंबर-118/2

रकबा 2.00/0.809 हेक्टेअर पर विधिक वारसान होने के कारण वादी के हक की घोषणा एवं खसरा नंबर-96/3 रकबा 1.00/0.405 हेक्टेअर मौजा अलना प.ह.नंबर-6 रा.नि.मं. गढ़ी तहसील बैहर जिला बालाघाट का आधिपत्य वादी को दिलाये जाने की आज्ञा पारित की जावे।

6— स्वीकृत तथ्यों के अतिरिक्त, वादी के अभिवचनों का प्रत्याख्यान कर अपने जवाब में प्रतिवादी क्रमांक-1 ने यह कहा है कि खसरा नंबर-96/3 रकबा 1.00 एकड़ भूमि वादी के नाम से राजस्व प्रलेखों में दर्ज है, किन्तु उक्त भूमि को वादी के पिता द्वारा वादी के नाम से क्रय नहीं किया गया है एवं खसरा नंबर-118/2 रकबा 2.00 एकड़ भूमि प्रतिवादी क्रमांक-2 के नाम से राजस्व प्रलेखों में दर्ज है। वादी, प्रतिवादी क्रमांक-1 की वैध विवाहिता पत्नी है। वादी एवं प्रतिवादी क्रमांक-1 के विवाह के काफी समय पश्चात् वादी को कोई संतान उत्पन्न नहीं हुई। वादी एवं प्रतिवादी क्रमांक-1 ने काफी ईलाज करवाया, किन्तु वादी एवं प्रतिवादी क्रमांक-1 को ज्ञात हुआ कि वादी से संतान उत्पन्न होना संभव नहीं है, तब वादी एवं प्रतिवादी क्रमांक-1 ने आपसी सहमति से दूसरी पत्नी लाने के लिए विचार-विमर्श किया और वादी ने आपसी सहमति से अपनी मौसी की लड़की कलावती को प्रतिवादी क्रमांक-1 की दूसरी पत्नी बनाकर लाने की सहमति दी, तब प्रतिवादी क्रमांक-1 कलावती को दूसरी पत्नी बनाकर लाया। वादी ने प्रतिवादी क्रमांक-1 को दूसरी पत्नी लाने से पूर्व शर्त रखी कि वह वादी के नाम से जमीन जायदाद कर दे, किन्तु प्रतिवादी क्रमांक-1 के पास अधिक भूमि न होने से प्रतिवादी क्रमांक-1 ने ग्राम अलना के झुम्मुकलाल से वाद कथित भूमि खसरा नंबर-96/3 रकबा 1:00 एकड़ क्रय कर वादी के नाम से विक्रयपत्र निष्पादित करवा दिया, जिसके पश्चात् प्रतिवादी क्रमांक-1 ने वादी की संतुष्टि के पश्चात् ही दूसरा विवाह किया।

7— वादी ने अपने वादपत्र में कथन किये हैं कि विवादित भूमि खसरा नंबर-96/3 रकबा 1:00 एकड़ भूमि उसके पिता द्वारा उसके नाम से क्रय की गई है, जो पूर्णतः गलत है, क्योंकि वादी के पिता वादी के विवाह के पूर्व ही फौत हो चुके हैं, जिस कारण भूमि क्रय करने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। वादी वर्तमान में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के रूप में पदस्थ है, जिसकी नियुक्ति भी प्रतिवादी क्रमांक-1 ने विवाह के बाद स्वयं प्रयास करके करवाया

है। वादी, प्रतिवादी क्रमांक-1 के दूसरी पत्नी लाने तक साथ में रही, किन्तु कुछ वर्षों पश्चात् वह प्रतिवादी क्रमांक-1 से अलग रहने की जिद करने लगी और प्रतिवादी क्रमांक-1 के अलग रहने के बाद भी प्रतिवादी क्रमांक-1 के मकान में अलग कमरे में रह रही है। प्रतिवादी क्रमांक-1 के बार-बार समझाने पर भी वह प्रतिवादी क्रमांक-1 से अलग निवास कर रही है। प्रतिवादी क्रमांक-1 ने अपने स्वयं का मकान वादी के निवास करने के लिए दिया हुआ है और वादी के नाम की खसरा नंबर 96/3 रकबा 1:00 एकड़ भूमि पर वादी अपने भतीजे दंगल पिता सुरपतसिंह से अधिया में कास्त करवाती है, जिसकी फसल वादी स्वयं प्राप्त करती है। वादी द्वारा बिना किसी कारण के प्रतिवादी क्रमांक-1 को परेशान करने की नियत से यह दावा पेश किया गया है। प्रतिवादी क्रमांक-1 ने वादी के नाम से 1:00 एकड़ भूमि कय कर देने के पश्चात् भी प्रतिवादी क्रमांक-1 के नाम की 2:00 एकड़ भूमि में से भी हिस्से की मांग की जा रही है। प्रतिवादी क्रमांक-1 ने वादी को न तो परेशान किया है और न ही उसे अलग किया है। उपरोक्त आधार पर वादी का दावा निरस्त किया जावे।

8— न्यायालय द्वारा प्रकरण में निम्नलिखित विचारणीय प्रश्नों की विरचना की गई है जिनके सम्मुख मेरे निष्कर्ष निम्नानुसार हैं:—

क्रमांक	वादप्रश्न	निष्कर्ष
1.	क्या वादग्रस्त संपत्ति खसरा नम्बर 118/2 रकबा 2.00/0.809 हेक्टेअर मौजा अलना प.ह.नं-6 रा.नि.मं. गढ़ी तहसील बैहर जिला बालाघाट वादी के स्वामित्व की है ?	“ प्रमाणित नहीं ”
2.	क्या वादग्रस्त संपत्ति खसरा नंबर-96/3 रकबा 1.00/0.405 हेक्टेअर मौजा अलना प.ह.नं-6 रा.नि.मं. गढ़ी तहसील बैहर जिला पर प्रतिवादी क्रमांक-01 का अवैध आधिपत्य है ?	“ प्रमाणित नहीं ”
3.	सहायता एवं व्यय ?	निर्णय की कण्डिका “13” के अनुसार वाद खारिज।

### विवाद्यक प्रश्न क्रमांक-2 का निष्कर्ष:—

9— प्रकरण में यह स्वीकृत तथ्य है कि उक्त वादग्रस्त भूमि खसरा

नम्बर 96/3 रकबा 01.00 एकड़ वादी के स्वामित्व की है क्योंकि प्रतिवादी सुदामा ने भी उक्त तथ्यों को अपने जवाबदावा तथा मुख्य परीक्षण शपथ पत्र में स्वीकृत किया है। अब प्रश्न यह है कि क्या प्रतिवादी सुदामा का उक्त भूमि पर अवैध आधिपत्य है। सर्वप्रथम वादी सावित्रीबाई वा.सा.01 तथा अन्य वादी साक्षियों ने अपने मुख्य परीक्षण शपथ पत्र में उक्त भूमि वादी के पिता द्वारा क्रय करने के कथन किये हैं। तत्पश्चात स्वयं वादी तथा अन्य वादी साक्षियों ने उक्त भूमि पिता को प्राप्त राशि से माता द्वारा क्रय करने के कथन किये हैं। परंतु वादी द्वारा न तो उक्त राशि के संबंध में कोई दस्तावेज प्रस्तुत किये और न ही उक्त विक्रय पत्र को प्रस्तुत किया गया। इसके विपरीत प्रतिवादी सुदामा ने उक्त भूमि को वादी के नाम पर क्रय करने के कथन किये हैं। तथा उक्त संबंध में उसने विक्रय पत्र प्र.डी.02 दिनांक 03.02.1994 को प्रस्तुत किया है तथा विक्रय पत्र के साक्षी छोटेलाल (प्र.सा.02) का परीक्षण भी कराया है।

10— प्रकरण में मूल प्रश्न उक्त भूमि के आधिपत्य का है जिस संबंध में स्वयं वादी सावित्रीबाई (वा.सा.01) तथा दोनों वादी साक्षी नैनवती (वा.सा.02) एवं यशोदाबाई (वा.सा.03) ने प्रतिपरीक्षण में उक्त भूमि को दंगलसिंह द्वारा अधिया—बटाई में कमाने के कथन किये हैं। सावित्रीबाई (वा.सा.01) के अनुसार उक्त भूमि को सुदामा की ओर से दंगलसिंह कमाता है जबकि प्रतिवादी सुदामा (प्र.सा.01) एवं छोटेलाल (प्र.सा.02) ने वादी सावित्रीबाई द्वारा उक्त भूमि को दंगलसिंह से अधिया में कास्त करवाने के कथन किये हैं। प्रतिवादी सुदामा द्वारा अपने समर्थन में उक्त अधिया बटाईदार दंगलसिंह (प्र.सा.03) का परीक्षण कराया गया है। जिसने अपने मुख्य परीक्षण और प्रतिपरीक्षण दोनों में उसे सावित्रीबाई द्वारा विवादित भूमि को अधिया में कास्त हेतु देने के अखण्डनीय कथन किये हैं। वादग्रस्त भूमि के दस्तावेजों से वादग्रस्त भूमि पर वादी का स्वामित्व तथा आधिपत्य दर्शित होता है तथा स्वयं उक्त भूमि के अधिया—बटाईदार दंगलसिंह (प्र.सा.03) द्वारा वादी की ओर से भूमि को कास्त करने के संबंध में अखण्डनीय कथन किये हैं जिससे यह दर्शित होता है कि वादग्रस्त भूमि पर वादी का आधिपत्य है। परिणाम स्वरूप विवादक क्रमांक 02 का निष्कर्ष प्रमाणित नहीं के रूप में दिया जाता है।

#### विवादक प्रश्न क्रमांक—1 का निष्कर्ष:—

11— सर्वप्रथम वादी सावित्रीबाई (वा.सा.01) तथा वादी साक्षी नैनवती



(वा.सा.02) एवं यशोदाबाई (वा.सा.03) ने वैध विवाहिता पत्नी होने के कारण वारसान हक में वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 118/2 रकबा 02.00 एकड़ पर वादी का अधिकार होने के कथन अपने मुख्यपरीक्षण शपथपत्र में किये हैं तदोपरांत सभी साक्षियों ने प्रतिपरीक्षण में वादी की राशि से उक्त भूमि को क्रय करने के कथन किये हैं। वादग्रस्त भूमि प्रतिवादी सुदामा के नाम पर होना दस्तावेजों से दर्शित है। प्रथम दृष्टया विरासतन हक के आधार पर उक्त भूमि पर वादी का कोई हक अधिकार नहीं है क्योंकि प्रतिवादी जीवित है और उसे स्वयं के नाम पर की संपत्ति को अपनी इच्छा अनुसार उपभोग व व्ययन करने का पूर्ण अधिकार है। प्रतिवादी सुदामा के जीवनकाल में वादग्रस्त भूमि पर वादी को कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता है।

12— जहां तक उक्त संपत्ति वादी द्वारा क्रय करने के तथ्य का प्रश्न है, वादी साक्षियों द्वारा मौखिक अभिवचन कर देने मात्र से उक्त संबंध में कोई उपधारणा नहीं की जा सकती। वादी द्वारा उक्त भूमि के क्रय संबंधी किसी भी दस्तावेज को प्रस्तुत नहीं किया गया है। जिसके विपरीत प्रतिवादी द्वारा उक्त भूमि के विक्रय पत्र दिनांक 17.02.2000 की मूल प्रति प्र.डी.01 तथा खाता क्रमांक 160762 की पास बुक प्र.डी.03 प्रस्तुत की है। जिसमें क्रय दिनांक के पूर्व रुपये 13,400/- की निकासी का उल्लेख है। प्रतिवादी द्वारा उक्त भूमि के विक्रेता छत्तरसिंह के रिश्तेदार हेमसिंह (प्र.सा.04) का परीक्षण भी कराया है जिसने उक्त वादग्रस्त भूमि को उसके बड़े पिता छत्तरसिंह से प्रतिवादी द्वारा अपनी राशि से क्रय करने के अखण्डनीय कथन किये हैं। विक्रय पत्र की मूल प्रति क्रेता तथा विक्रेता के पास होना स्वभाविक है जो कि प्रतिवादी सुदामा द्वारा प्रस्तुत की गयी है। जिसके विपरीत वादी द्वारा वादग्रस्त भूमि के क्रय संबंधी किसी प्रकार के दस्तोवज प्रस्तुत नहीं किये हैं और विरासतन हक के आधार पर वादी का वादग्रस्त भूमि पर कोई भी अधिकार नहीं है क्योंकि वादग्रस्त भूमि प्रतिवादी सुदामा की स्वअर्जित संपत्ति दर्शित है, जिसे अपने जीवनकाल में इच्छानुसार उपभोग तथा व्ययन करने का उसे पूर्ण अधिकार है। वादी को प्रतिवादी से भरण-पोषण हेतु अन्य विधियों के अधीन अधिकार है तथा स्वयं उसने प्रतिपरीक्षण में स्वीकृत किया है कि उसके द्वारा प्रतिवादी सुदामा के विरुद्ध धारा 125 दं.प्र.सं. के अंतर्गत भरण-पोषण का प्रकरण प्रस्तुत किया गया है। परिणाम स्वरूप विवाद्यक क्रमांक 01 का निष्कर्ष प्रमाणित नहीं

के रूप में दिया जाता है।

**विवाद्यक प्रश्न क्रमांक 03 का निष्कर्ष:-**

**सहायता एवं व्यय:-**

13— उपरोक्त विवेचना के आधार पर वादी अपना दावा प्रमाणित करने में असफल रही है। परिणाम स्वरूप वर्तमान वाद खारिज किया जाता है।

14— वाद व्यय वादी द्वारा वहन किया जावेगा।

15— अधिवक्ता शुल्क प्रमाणित होने पर या सारणी अनुसार जो भी न्यून हों अदा की जावे।

तदनुसार डिक्री तैयार की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में घोषित कर, मेरे निर्देश पर टंकित किया गया।  
हस्ताक्षरित एवं दिनांकित किया गया।

(अमनदीप सिंह छाबड़ा)  
द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-दो  
बैहर बालाघाट म.प्र.

(अमनदीपसिंह छाबड़ा)  
द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-दो  
बैहर बालाघाट म.प्र.

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि  
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)